

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/आईसीपी-9/कार्यक्रम/17-18/

दिनांक:- 17/08/18

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम
प्रमारी आंतरिक जांच दल
जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक-द्वितीय, भीलवाड़ा

विषय:- त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम (अवधि 07/2018 से 09/2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्रानुसार संशोधित आंतरिक जांच कार्यक्रम अवधि 07/18 से 09/18 तक का जारी कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से संचालन हेतु इस कार्यालय को पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2018 में दिए गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

जांच दल:- सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)- द्वितीय, भीलवाड़ा

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जिला	लेखा अवधि	जांच का समय	मुख्यावास की अवधि
1.	राजमावि बौधधौल-कोटली	भीलवाड़ा	08/02 से 03/18	03.07.18 से 31.07.18	01.08.18 से 02.08.18
2.	राजमावि बामलीया-बनेड़ा	भीलवाड़ा	07/09 से 03/18	03.08.18 से 19.08.18	
3.	राजमावि काहनुरा	भीलवाड़ा	06/04 से 03/18	20.08.18 से 15.09.18	31.08.18 से 04.09.18

नोट:-

- समस्त अंकेक्षण दलों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यालय को पूर्व आदेश क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/12-13 दिनांक 03.05.2012 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में बजट कंट्रोल रजिस्टर की जांच करें।
- अंकेक्षण दल संस्था के गत निरीक्षण प्रतिवेदन (महालेखाकार, निरीक्षण विभाग एवं आंतरिक जांच) के बकाया आक्षेपों की अनुपालना करवाकर टिप्पणी के साथ संबंधित संस्था के नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
- आगामी जांच दल को सत्यापन की शर्त पर निरस्त किये गये आक्षेपों की अनुपालना का सत्यापन किया जाकर आक्षेप सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रेषित करें।
- हितकारी नियमों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर बकाया वसूलो करवायें।
- गत निरीक्षण प्रतिवेदनों के निरस्त आक्षेपों के ड्रॉपर्स की प्रतियां रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।
- अंकेक्षण रिपोर्ट की तीनों प्रतियां निदेशालय में ही प्रेषित की जावे। प्रतिवेदन समीक्षा पश्चात् संबंधित कार्यालय को निदेशालय स्तर से प्रेषित की जावेगी।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-

- उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर को अंकेक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण बाबत।
- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विद्यालय को कार्यक्रम की प्रति अपने स्तर पर प्रेषित कर वांछित कार्यवाही हेतु बाबंद करें।
- संबंधित विद्यालय राजमावि/राजराजमावि/रामावि/राजामावि/.....
- संबंधित प्रमारी आईसीपी अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विद्यालय का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण कार्यक्रम समाप्ति के एक माह में प्राप्त नहीं होने पर इस अनुभाग को सूचित करें।
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

E:\ICP-9\Audit Programma.docx

ऑडिट आईसीपी अनुभाग, मुख्य प्रशासनिक मन्त्र, प्रथम मंजिल, कम नं.- 120, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर

दूरभाष- 0151-252725 Email ID- aao.kp.dse@rajasthan.gov.in

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/आईसीपी-9/कार्यक्रम/18-19/

दिनांक:- 10/7/18

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम,
प्रभारी आंतरिक जांच दल,
जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक-प्रथम, भीलवाड़ा

विषय:- आंतरिक जांच कार्यक्रम (अवधि 07/2018 से 09/2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्रानुसार संशोधित आंतरिक जांच कार्यक्रम अवधि 07/18 से 09/18 तक का जारी कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से संचालन हेतु इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

जांच दल:- सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)- प्रथम, भीलवाड़ा

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जिला	लेखा अवधि	जांच का समय	मुख्यावास की अवधि
1.	राउमावि, मंगरोप	भीलवाड़ा	04/13 से 03/18	03.07.18 से 13.07.18	
2.	राउमावि गण्डस्माला	भीलवाड़ा	04/14 से 03/18	14.07.18 से 22.07.18	
3.	राउमावि आसीन्द	भीलवाड़ा	04/15 से 03/18	23.07.18 से 29.07.18	
4.	राउमावि भूणास	भीलवाड़ा	04/15 से 03/18	30.07.18 से 08.08.18	01.08.18 से 02.08.18
5.	राउमावि ब्राह्मणों की सरैरी	भीलवाड़ा	04/12 से 03/18	09.08.18 से 22.08.18	
6.	राउमावि गंगापुर	भीलवाड़ा	04/11 से 03/18	23.08.18 से 10.09.18	31.08.18 से 04.09.18
7.	राउमावि बदनोर	भीलवाड़ा	04/13 से 03/18	11.09.18 से 19.09.18	
8.	राउमावि हमीरगढ़	भीलवाड़ा	04/14 से 03/18	20.09.18 से 28.09.18	

नोट:-

- समस्त अंकेक्षण दलों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/12-13 दिनांक 03.05.2012 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में बजट कंट्रोल रजिस्टर की जांच करें।
- अंकेक्षण दल संस्था के गत निरीक्षण प्रतिवेदन (महालेखाकार, निरीक्षण विभाग एवं आंतरिक जांच) के बकाया आक्षेपों की अनुपालना करवाकर टिप्पणी के साथ संबंधित संस्था के नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
- अगामी जांच दल को सत्यापन की शर्त पर निरस्त किये गये आक्षेपों की अनुपालना का सत्यापन किया जाकर आक्षेप सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रेषित करें।
- हितकारी निधी से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर बकाया वसूली करवावें।
- गत निरीक्षण प्रतिवेदनों के निरस्त आक्षेपों के ड्रॉपर्स की प्रतियां रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।
- अंकेक्षण रिपोर्ट की तीनों प्रतियां निदेशालय में ही प्रेषित की जावे। प्रतिवेदन समीक्षा पश्चात् संबंधित कार्यालय को निदेशालय स्तर से प्रेषित की जावेगी।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-

- उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर को अंकेक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण बाबत।
- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विद्यालय को कार्यक्रम की प्रति अपने स्तर पर प्रेषित कर वांछित कार्यवाही हेतु पाबंद करें।
- संबंधित विद्यालय राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि/.....।
- संबंधित प्रभारी आईसीपी अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विद्यालय का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण कार्यक्रम समाप्ति के एक माह में प्राप्त नहीं होने पर इस अनुभाग को सूचित करें।
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

E:\ICP-9\Audit Programma.docx

ऑडिट आई.सी.पी. अनुभाग, मुख्य प्रशासनिक मवन, प्रथम मंजिल, कक्षा सं.- 120, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर

दूरभाष:- 0151-2527065 Email ID:- aao.icp.dse@rajasthan.gov.in

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/आईसीपी-9/कार्यक्रम/16-17/

दिनांक:- 10/7/18

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम,
प्रभारी आंतरिक जांच दल,
जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा-द्वितीय, अलवर


विषय:- आंतरिक जांच कार्यक्रम (अवधि 07/2018 से 06/2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्रानुसार संशोधित आंतरिक जांच कार्यक्रम अवधि 07/18 से 09/18 तक का जारी कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से संचालन हेतु इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
जांच दल:-सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)-द्वितीय अलवर।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	लेखा अवधि	जांच का समय	मुख्यावास की अवधि
1.	राउमावि, बुढवाल त. बहरोड	07/95 से 03/18	03.07.18 से 09.08.18	01.08.18 से 02.08.18
2.	राउमावि रिवाली त. बहरोड	07/97 से 03/18	10.08.18 से 18.09.18	31.08.18 से 04.09.18

नोट:-


- समस्त अंकक्षण दलों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/12-13 दिनांक 03.05.2012 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में बजट कंट्रोल रजिस्टर की जांच करें।
- अंकक्षण दल संस्था के गत निरीक्षण प्रतिवेदन (महालेखाकार, निरीक्षण विभाग एवं आंतरिक जांच) के बकाया आक्षेपों की अनुपालना करवाकर टिप्पणी के साथ संबंधित संस्था के नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
- आगामी जांच दल को सत्यापन की शर्त पर निरस्त किये गये आक्षेपों की अनुपालना का सत्यापन किया जाकर आक्षेप सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रेषित करें।
- हितकारी निधी से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर बकाया वसूली करवावे।
- गत निरीक्षण प्रतिवेदनों के निरस्त आक्षेपों के ड्रॉपर्स की प्रतियां रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।
- अंकक्षण रिपोर्ट की तीनों प्रतियां निदेशालय में ही प्रेषित की जावे। प्रतिवेदन समीक्षा पश्चात् संबंधित कार्यालय को निदेशालय स्तर से प्रेषित की जावेगी।


लेखाधिकारी

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-

- उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर को अंकक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण बाबत।
- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय अलवर को प्रेषित कर लेख है कि अपने कार्यालय में कार्यरत अंकक्षण दल को संबंधित कार्यालय के अंकक्षण कार्य हेतु पाबंद करें।
- संबंधित विद्यालय.....को प्रेषित कर लेख है कि अंकित समय अवधि में अपने कार्यालय का अंकक्षण कार्य सम्पादित करवावे एवं समस्त रिकार्ड उपलब्ध करवावे।
- संबंधित प्रभारी आईसीपी अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विद्यालय का अंकक्षण प्रतिवेदन अंकक्षण कार्यक्रम समाप्ति के एक माह में प्राप्त नहीं होने पर इस अनुभाग को सूचित करें।
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


लेखाधिकारी

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

E:\ICP-9\Audit Programma.docx

ऑडिट आईसीपी अनुभाग, मुख्य प्रशासनिक भवन, प्रथम मंजिल, कक्षा सं.- 120, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर

दूरभाष:- 0151-2527085 Email ID:- aao.icp.dse@rajasthan.gov.in

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:- शिविरा / माध्य / आईसीपी-9 / कार्यक्रम / 17-18 /

दिनांक:- 10/7/18

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम,
प्रभारी आंतरिक जांच दल,
जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक-प्रथम, अलवर

विषय:- आंतरिक जांच कार्यक्रम (अवधि 07 / 2018 से 09 / 2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्रानुसार संशोधित आंतरिक जांच कार्यक्रम अवधि 07 / 18 से 09 / 18 तक का जारी कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से संचालन हेतु इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

जांच दल:- सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)-प्रथम अलवर

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जिला	लेखा अवधि	जांच का समय	मुख्यावास की अवधि
1.	राउमावि, गढीसवाई राम	अलवर	02/04 से 06/18	03.07.18 से 26.07.18	
2.	राउमावि लक्ष्मणगढ	अलवर	04/01 से 03/18	27.07.18 से 23.08.18	01.08.18 से 02.08.18
3.	राउमावि दोगडी	अलवर	04/99 से 03/18	24.08.18 से 28.09.18	31.08.18 से 04.09.18

नोट:-

1. समस्त अंकेक्षण दलों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक शिविरा / मा / बजट / बी-4 / 25577 / 12-13 दिनांक 03.05.2012 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में बजट कंट्रोल रजिस्टर की जांच करें।
2. अंकेक्षण दल संस्था के गत निरीक्षण प्रतिवेदन (महालेखाकार, निरीक्षण विभाग एवं आंतरिक जांच) के बकाया आक्षेपों की अनुपालना करवाकर टिप्पणी के साथ संबंधित संस्था के नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
3. आगामी जांच दल को सत्यापन की शर्त पर निरस्त किये गये आक्षेपों की अनुपालना का सत्यापन किया जाकर आक्षेप सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रेषित करें।
4. हितकारी निधी से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर बकाया वसूली करवावे।
5. गत निरीक्षण प्रतिवेदनों के निरस्त आक्षेपों के ड्रॉपर्स की प्रतियां रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।
6. अंकेक्षण रिपोर्ट की तीनों प्रतियां निदेशालय में ही प्रेषित की जावे। प्रतिवेदन समीक्षा पश्चात् संबंधित कार्यालय को निदेशालय स्तर से प्रेषित की जावेगी।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर को अंकेक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण बाबत।
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अलवर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विद्यालय को कार्यक्रम की प्रति अपने स्तर पर प्रेषित कर वांछित कार्यवाही हेतु पाबंद करें।
3. संबंधित विद्यालय राउमावि / राबाउमावि / रामावि / राबामावि /।
4. संबंधित प्रभारी आईसीपी अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विद्यालय का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण कार्यक्रम समाप्ति के एक माह में प्राप्त नहीं होने पर इस अनुभाग को सूचित करें।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

E:\ICP-9\Audit Programma.docx

ऑडिट आई.सी.पी. अनुभाग, मुख्य प्रशासनिक भवन, प्रथम मंजिल, कक्ष सं.- 120, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर

दूरभाष:- 0151-2527065 Email ID:- aao.icp.dse@rajasthan.gov.in

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/आईसीपी-9/कार्यक्रम/17-18/

दिनांक:- 10/7/18

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम,
प्रभारी आंतरिक जांच दल,
जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक प्रथम-जयपुर

विषय:- आंतरिक जांच कार्यक्रम (अवधि 07/2018 से 09/2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्रानुसार संशोधित आंतरिक जांच कार्यक्रम अवधि 07/18 से 09/18 तक का जारी कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से संचालन हेतु इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। जांच दल:- सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.प्र.)- जयपुर

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जिला	लेखा अवधि	जांच का समय	मुख्यावास की अवधि
1.	राबाउमावि कावेरीपथ मानसरोवर	जयपुर	04/97 से 03/18	03.07.18 से 07.08.18	01.08.18 से 02.08.18
2.	राबाउमावि चन्दालाई चाकसू	जयपुर	04/93 से 03/18	08.08.18 से 24.09.18	31.08.18 से 04.09.18

नोट:-

1. समस्त अंकेंक्षण दलों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/12-13 दिनांक 03.05.2012 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में बजट कंट्रोल रजिस्टर की जांच करें।
2. अंकेंक्षण दल संस्था के गत निरीक्षण प्रतिवेदन (महालेखाकार, निरीक्षण विभाग एवं आंतरिक जांच) के बकाया आक्षेपों की अनुपालना करवाकर टिप्पणी के साथ संबंधित संस्था के नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
3. आगामी जांच दल को सत्यापन की शर्त पर निरस्त किये गये आक्षेपों की अनुपालना का सत्यापन किया जाकर आक्षेप सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रेषित करें।
4. हितकारी निष्पत्ति से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर बकाया वसूली करवावें।
5. गत निरीक्षण प्रतिवेदनों के निरस्त आक्षेपों के ड्रॉपर्स की प्रतियां रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।
6. अंकेंक्षण रिपोर्ट की तीनों प्रतियां निदेशालय में ही प्रेषित की जावे। प्रतिवेदन समीक्षा पश्चात् संबंधित कार्यालय को निदेशालय स्तर से प्रेषित की जावेगी।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर को अंकेंक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण बाबत।
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम-जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विद्यालय को कार्यक्रम की प्रति अपने स्तर पर प्रेषित कर वांछित कार्यवाही हेतु पाबंद करें।
3. संबंधित विद्यालय राउमावि/राबाउमावि/समावि/राबामावि/.....।
4. संबंधित प्रभारी आईसीपी अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित विद्यालय का अंकेंक्षण प्रतिवेदन अंकेंक्षण कार्यक्रम समाप्ति के एक माह में प्राप्त नहीं होने पर इस अनुभाग को सूचित करें।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

E:\ICP-9\Audit Programma.docx

ऑडिट आई.सी.पी. अनुभाग, मुख्य प्रशासनिक भवन, प्रथम मंजिल, कक्षा सं.- 120, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर

दूरभाष:- 0151-2527065 Email ID- aao.icp.dse@rajasthan.gov.in